



सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में 2014 - 15



बिहार सरकार

लेखों एक दृष्टि में

वर्ष 2014-15 के लिए

बिहार सरकार

प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के 'लेखे एक दृष्टि में', को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकाशन का मूल प्रयोजन वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे में निहित विस्तृत सूचनाओं, जिसे मेरे कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाता है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, को सारगर्भित करना तथा अधिक सुगम बनाना है।

राज्य के वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश है। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदान-वार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखाचित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी। अंतर की स्थिति में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में दर्शाये गये आँकड़ों को सही समझा जाय।

हमें उन टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होगी।

Sanjay Kumar

संजय कुमार

महालेखाकार (लेखा एवं हक०)

बिहार, पटना।

स्थान : पटना

दिनांक : 2 मार्च 2016

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था का दृष्टिकोण हमारी आकांक्षाओं का द्योतक है।

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

हमारे उद्देश्य, हमारी वर्तमान भूमिका को घोषित करता है और आज हम क्या कर रहे हैं; को विवेचित करता है।

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हमारे बुनियादी मूल्य सभी के लिए जो हम कार्य करते हैं, पथ प्रदर्शक है तथा हमें हमारे प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानक प्रदान करते हैं।

- | | |
|---------------|-----------------------|
| ■ स्वतंत्रता | ■ व्यवसायिक, कुशलता |
| ■ उद्देश्यता | ■ पारदर्शिता |
| ■ सत्यनिष्ठा | ■ सकारात्मक दृष्टिकोण |
| ■ विश्वसनीयता | |

विषय सूची

अध्याय-I	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	परिचय	07
1.2	लेखे की संरचना	07
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	09
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	11
1.5	लेखे की विशेषताएँ	14
1.6	घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं	15
अध्याय-II	प्राप्तियाँ	
2.1	परिचय	17
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	17
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	19
2.4	राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता	21
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	21
2.6	विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	22
2.7	सहायता अनुदान	23
2.8	लोक ऋण	24
अध्याय-III	व्यय	
3.1	परिचय	25
3.2	राजस्व व्यय	25
3.3	पूँजीगत व्यय	27
अध्याय-IV	आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय	
4.1	व्यय का संवितरण (2014-15)	29
4.2	आयोजना व्यय	29
4.3	आयोजना भिन्न व्यय	30
4.4	वचनबद्ध व्यय	31

अध्याय-V	विनियोग लेखे	
5.1	वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे का सार	32
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	32
5.3	विशिष्ट बचत	33
अध्याय-VI	परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ	
6.1	परिसंपत्तियाँ	35
6.2	ऋण तथा देयताएँ	35
6.3	गारंटियाँ	36
अध्याय-VII	अन्य विषय	
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	37
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे तथा उधार	37
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	37
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	38
7.5	लेखे का मिलान	38
7.6	कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	39
7.7	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	40
7.8	व्यय का आधिक्य	41

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय


बिहार सरकार के प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे को महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार द्वारा संकलित किया जाता है। यह संकलन जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य प्रमंडलों, वन प्रमंडलों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। ऐसे लेखे के संकलन के आधार पर महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा प्रतिवर्ष वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार किया जाता है जिसे महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. लेखे की संरचना

1.2.1. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग-1 समेकित निधि	राजस्व और पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ तथा व्यय, लोक-ऋण तथा कर्ज और पेशगियाँ से संबंधित लिए गए कर्ज और उनकी अदायगियाँ।
भाग-2 आकस्मिकता निधि	अप्रत्याशित व्यय, जो बजट में प्रावधानित न हो, के वहन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस निधि से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति तदनन्तर में समेकित निधि से की जाती है।
भाग-3 लोक लेखा	इसमें ऋण, जमा राशियाँ, पेशगियाँ, प्रेषण तथा उचन्त से संबंधित लेन-देन शामिल हैं। ऋण तथा जमा राशियाँ सरकार के प्रतिदेय दायित्वों को इंगित करते हैं। पेशगियाँ सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण तथा उचन्त से संबंधित लेन-देन समायोजनीय प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंततः लेखे के अंतिम शीर्ष में लिखित कर समाशोधित किया जाता है।

1.2.2. लेखे का संकलन



1.3. वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे को दर्शाता है, साथ ही यह राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण तथा लोक लेखा के लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर परिकल्पित देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करता है। वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनापरक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं, को रखा जाता है। खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है।

बिहार सरकार की प्राप्तियाँ तथा व्ययों को जैसा कि वित्त लेखे 2014-15 में दर्शाया गया है, जो निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ (कुल : 91,089)	राजस्व (कुल : 78,417)	कर राजस्व	57,713
		करेतर राजस्व	1,558
		सहायक अनुदान एवं अंशदान	19,146
	पूँजीगत (कुल : 12,672)	कर्ज तथा पेशगियों की वसूली	1,493
		उधार एवं अन्य दायित्व*	11,179
व्यय (कुल : 91,089)	राजस्व	72,570	
	पूँजीगत	18,150	
	कर्ज तथा पेशगियाँ	369	

* उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल+लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल ।

राज्य द्वारा राजस्व तथा पूँजी से प्राप्तियों के अलावा, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार राज्य कार्यकारी अधिकरणों / गैर सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर विशेष निधि उपलब्ध कराती है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा ₹ 652 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 9,465 करोड़) सीधे विमुक्त किया गया। चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती हैं, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती हैं। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2. विनियोग लेखे

संविधान के तहत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 51 अनुदान/विनियोग है। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2014-15 द्वारा ₹ 1,40,023 करोड़ का सकल व्यय और ₹ 0.20 लाख का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 96,097 करोड़ और व्यय में कमी ₹ 1,399 करोड़ हुआ। परिणामतः शुद्ध निवल बचत ₹ 43,926 करोड़ (31.37 प्रतिशत) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹ 1,399 करोड़ का कम आकलन किया गया। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹ 2,040 करोड़ सम्मिलित है जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹ 2,034 करोड़ से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र अप्राप्त रहने के कारण अभी तक लंबित है।

विशेष शासनपत्रों से उत्पन्न सरकार के देयताओं के निर्वहन हेतु, समेकित निधि से राशि को स्थानान्तरित कर उसे जमा करने के लिए सरकार व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिए प्राधिकृत है। बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 344 सह पठित वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या एम० 4-12/2013(भाग-I)-6487/एफ० दिनांक 21/07/2014 व्यवस्था करता है कि जमा करने वाले प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। तीन लगातार वित्तीय वर्षों (वह वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई है) के बाद अव्ययित राशि आगे व्यय नहीं की जानी चाहिए तथा शेष को व्यय में कमी के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष को स्थानान्तरित कर देना चाहिए।

टिप्पणी : निधियों के सीधे स्थानान्तरण से संबंधित आँकड़े महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'सेन्ट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (सी०पी०एस०एम०एस०)' से लिए गए हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान 69 कोषागारों द्वारा पी०डी० खातों के संबंध में सूचना दी गई है, जिनमें से 52 कोषागारों में ही पी०डी० लेखा का संधारण किया जाता है एवं शेष 17 कोषागारों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कोई भी पी०डी० खाता नहीं है। किसी भी विभागीय अधिकारी के द्वारा महालेखाकार द्वारा संधारित किए गए लेखों के शेषों का सत्यापन अथवा मिलान नहीं किया गया। 165 पी०डी० लेखों में से 48 अपरिचालित हैं जिनमें कोई शेष नहीं है। इसके अलावे, वर्ष के दौरान किसी भी पी०डी० खाते के कोषागार/प्रशासक ने संचित निधि में वापसी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

52 राज्य कोषागारों से प्राप्त व्यक्तिगत जमा खाते की विवरणी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

विवरणी	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1 अप्रैल 2014 को	115	2,442.43
वर्ष के दौरान प्राप्ति	31	803.17
वर्ष के दौरान खोले गए	50	0.00
वर्ष के दौरान बन्द किए गए	0	0.00
वर्ष के दौरान भुगतान	35	647.54
31 मार्च 2015 को	165	2,598.06

1.4. निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने एवं संवर्ण हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

1.4.2. निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व अधिक्क ₹ 5,848 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 11,179 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 1.45 प्रतिशत और 2.78 प्रतिशत को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 12 प्रतिशत है। इस घाटे को लोक ऋण इस प्रकाशन में प्रयुक्त जी०एस०डी०पी० का आँकड़ा, योजना तथा विकास विभाग, बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है।

(₹ 10,309 करोड़), लोक लेखे (₹ 551 करोड़) में वृद्धि और आदि तथा अंत शेष के निवल [(-) ₹ 319 करोड़] से पूरित किया गया। ₹ 32,081 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹ 78,417 करोड़) का लगभग 41 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹ 14,607 करोड़), ब्याज संदाय (₹ 6,129 करोड़) तथा पेंशन (₹ 11,345 करोड़) पर खर्च किया गया।


निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)


	विवरण	राशि
	1 अप्रैल 2014 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष	230
	राजस्व प्राप्तियाँ	78,417
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1,493
	लोक ऋण	13,917
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	1,104
स्रोत	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	1,404
	जमा प्राप्तियाँ	24,763
	सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान	208
	उचंत लेखा	1,66,624
	प्रेषण	12,222
	आकस्मिकता निधि	0.00
	कुल	3,00,382

	राजस्व व्यय	72,570
	पूँजीगत व्यय	18,150
	प्रदत्त ऋण	369
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,609
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	1,286
अनुप्रयोग	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	1,649
	जमा राशि से किए गए व्यय	22,527
	प्रदत्त सिविल पेशगियाँ	222
	उचंत लेखा	1,67,856
	प्रेषण	12,233
	31 मार्च 2015 को रिजर्व बैंक रोकड़ अंतशेष	(-) 89
	कुल	3,00,382

1.4.3. रुपया जहाँ से आया



1.4.4. रुपया जहाँ गया



* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल है ।

1.5. लेखे की विशेषताएँ

	बजट अनुमान 2014-15	वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	सं०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता (\$)
	(₹ करोड़ में)			
1. कर राजस्व (@)	67,438	57,713	86	14
2. करेतर राजस्व	3,082	1,558	51	--
3. सहायता अनुदान तथा अंशदान	31,420	19,146	61	5
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,01,940	78,417	77	20
5. अन्य प्राप्तियाँ	--	--	--	--
6. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	16	1,493	9331	--
7. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	11,368	11,179	98	3
8. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	11,384	12,672	111	3
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,13,324	91,089	80	23
10. गैर-योजना व्यय (*)	55,668	47,150	85	12
11. राजस्व लेखा पर गैर-योजना व्यय	55,426	47,059	85	12
12. 11 के व्यय में से ब्याज अदायगी पर गैर-योजना व्यय	6,581	7,104	108	2
13. पूँजीगत लेखा पर गैर-योजना व्यय	242	91	38	--
14. योजना व्यय (*)	57,655	43,939	76	11
15. राजस्व लेखा पर योजना व्यय	36,339	25,511	70	6
16. पूँजीगत लेखा पर योजना व्यय	21,316	18,428	86	5
17. कुल व्यय (10+14)	1,13,324	91,089	80	23
18. राजस्व व्यय (11+15)	91,765	72,570	79	18
19. पूँजीगत व्यय (13+16) (#)	21,558	18,519	86	5
20. राजस्व आधिक्य (4-18)	10,174	5,848	57	1
21. राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	11,368	11,179	98	3

(@) संघीय करों में राज्यांश ₹ 36,963 करोड़ शामिल है ।

(\$) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सं०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹ 4,02,283 करोड़ योजना विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है ।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹ 18,150 करोड़), संवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹ 369 करोड़) सम्मिलित है ।


(*) गैर-योजना के अंतर्गत ₹ 33 करोड़ तथा योजना के अंतर्गत ₹ 336 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है ।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल ।


1.6. घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।
राजस्व घाटा / आधिक्य	राजस्व प्राप्त और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांततः इसे राजस्व प्राप्त से पूरित होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांततः उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।


1.6.1. राजस्व घाटा/आधिक्य का प्रवृत्ति



1.6.2. राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति



1.6.3. उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात



यह वांछनीय है कि उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹ 18,150 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹ 13,917 करोड़) और राजस्व आधिक्य (₹ 5,848 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है ।

अध्याय-II

प्राप्तियाँ


2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2014-15 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 91,089 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित है।
सहायक अनुदान	संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त जिसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त सहायता, सामग्री तथा उपस्कर एवं वाह्य सहायता अनुदान सम्मिलित है, जो संघ सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें कुछ संस्थाओं को जैसे-पंचायती राज संस्थाएँ, स्वायत्तशासी निकायों इत्यादि को सहायक अनुदान प्रदान करती है।

राजस्व प्राप्तियाँ



राजस्व प्राप्ति के घटक (2014-15)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविकी
क. कर राजस्व	57,713
आय तथा व्यय पर कर	22,180
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	3,011
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	32,522
ख. करेतर राजस्व	1,558
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	347
सामान्य सेवायें	89
सामाजिक सेवायें	57
आर्थिक सेवायें	1,065
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	19,146
कुल - राजस्व प्राप्तियाँ	78,417


2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कर राजस्व	33,848 (17)	40,547 (17)	48,154 (16)	54,790 (16)	57,713 (14)
करेतर राजस्व	985 (0.48)	890 (0.36)	1,135 (0.39)	1,545 (0.45)	1,558 (0.39)
सहायता अनुदान	9,699 (5)	9,883 (4)	10,278 (4)	12,584 (4)	19,146 (5)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	44,532 (22)	51,320 (21)	59,567 (20)	68,919 (20)	78,417 (19)
स० रा० घ० उ०	2,03,555	2,43,269	2,93,616	3,43,663	4,02,283

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के बीच राजस्व संग्रहण में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व में क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः 'अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग' (₹ 880 करोड़), 'ब्याज प्राप्तियाँ' (₹ 345 करोड़), 'सड़क तथा सेतु' (₹ 55 करोड़), 'वन एवं वन्यजीव' (₹ 25 करोड़), 'अन्य प्रशासनिक सेवायें' (₹ 22 करोड़), 'फसल कृषि कर्म' (₹ 19 करोड़), 'लोक सेवा आयोग' (₹ 18 करोड़) में अधिक संग्रहण के कारण हुई । इसके अलावा वर्ष 2014-15 में 'पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियाँ' तथा सहकारिता में क्रमशः ₹ 2 करोड़ तथा ₹ 7 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2013-14 में इनके विरुद्ध संग्रहण क्रमशः ₹ 400 करोड़ तथा ₹ 36 करोड़ था । राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत कुछ कर घटकों, जैसे-'राज्य उत्पाद शुल्क' (₹ 3,216 करोड़), 'माल तथा यात्री कर' (₹ 4,451 करोड़) और 'बिक्री, व्यापार पर व्यय' (₹ 8,607 करोड़), में वृद्धि का रूझान देखा गया ।




खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आय तथा व्यय पर कर	14,325	16,610	18,356	19,474	22,180
संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	1,257	1,690	2,398	2,946	3,011
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	18,266	22,247	27,400	32,370	32,522
कुल-कर राजस्व	33,848	40,547	48,154	54,790	57,713

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः 'आय पर निगम कर से भिन्न कर' (₹ 9,217 करोड़), 'मद्य निषेध एवं उत्पाद' (₹ 5,978 करोड़), 'राज्य उत्पाद शुल्क' (₹ 3,217 करोड़), 'वाहन कर' (₹ 964 करोड़), 'माल तथा यात्री कर' (₹ 4,451 करोड़) तथा 'निगम कर' (₹ 12,908 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।



(*) राज्य को मुख्य रूप से केन्द्रांश के निवल आगमों का हिस्सा

2.4 राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश	राज्य का स्व-कर राजस्व	
			राशि	संरा०घ०उ० की प्रतिशतता
2010-11	33,848	23,978	9,870	4.85%
2011-12	40,547	27,935	12,612	5.18%
2012-13	48,154	31,901	16,253	5.54%
2013-14	54,790	34,829	19,961	5.81%
2014-15	57,713	36,963	20,750	5.16%

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्व-कर राजस्व का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशांसित लक्ष्य 6.26 प्रतिशत से कम है ।

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व संग्रहण	1,257	1,690	2,398	2,946	3,011
संग्रहण पर व्यय	356	417	440	526	511
कर संग्रहण की दक्षता	28%	25%	18%	18%	17%

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व संग्रहण	18,266	22,247	27,400	32,370	32,522
संग्रहण पर व्यय	112	130	147	146	185
कर संग्रहण की दक्षता	1%	1%	1%	0.45%	0.57

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है । वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है । हालांकि, संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर के संग्रहण दक्षता में सुधार किया जा सकता है ।


2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निगम कर	9,372	10,996	11,459	11,713	12,908
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,953	5,585	6,860	7,713	9,217
संपत्ति कर	19	42	20	32	35
सीमा शुल्क	4,193	4,844	5,301	5,683	5,978
संघ उत्पाद शुल्क	3,050	3,134	3,603	4,014	3,376
सेवा कर	2,391	3,334	4,658	5,674	5,449
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	--	--	--	--	--
संघीय करों का राज्यांश	23,978	27,935	31,901	34,829	36,963
कुल राजस्व कर	33,848	40,547	48,154	54,790	57,713
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	71	69	66	64	64

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें राज्य आयोजना एवं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आयोजना भिन्न अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹ 19,146 करोड़ थी, जो निम्नवत है :-



कुल सहायता अनुदान में आयोजना भिन्न अनुदान का अंशदान वर्ष 2013-14 के 26 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 17 प्रतिशत हो गया, जबकि आयोजना के योजनाओं के लिए अनुदान का अंशदान वर्ष 2013-14 के 74 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 83 प्रतिशत हो गया। आयोजना के योजनाओं में केन्द्रीय अंशदान के बजट अनुमान (₹ 29,105 करोड़) के विरुद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹ 15,875 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 55 प्रतिशत)।

2.8 लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आंतरिक ऋण	3,526	3,344	6,461	6,799	10,224
केन्द्रीय कर्ज	316	361	23	(-) 11	85
कुल लोक ऋण	3,842	3,705	6,484	6,788	10,309

नोट - ऋणात्मक आँकड़े प्राप्तियों से अधिक भुगतान किए जाने को दर्शाते हैं।

वर्ष 2014-15 में, कुल ₹ 8,100 करोड़ के सात ऋण जो वर्ष 2024-25 में विमुक्त योग्य होंगे, को ब्याज दर 8.06 प्रतिशत से 8.73 प्रतिशत के बीच के सममूल्य पर लिए गये।

2014-15 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹ 13,199 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹ 718 करोड़ के जोड़ के विरुद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹ 18,150 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।

अ

ध्याय-III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सरकार के विभिन्न संगठनों के दिनानुदिन व्यय को वहन करने के लिए राजस्व व्यय का उपयोग किया जाता है। पूँजीगत व्यय स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा स्थायी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि करने अथवा स्थायी देयताओं को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्यय को पुनः आयोजना तथा गैर-योजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य सेवायें	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवायें	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2. राजस्व व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय स०रा०घ०उ० का 18 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के लिए राजस्व व्यय ₹ 72,570 करोड़ हुआ जो बजट अनुमान से ₹ 19,195 करोड़ कम था। इसका कारण आयोजना व्यय के अन्तर्गत ₹ 10,828 करोड़ तथा गैर-योजना व्यय के अंतर्गत ₹ 8,367 करोड़ का कम खर्च होना था। इस कमी को बजट अनुमान की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 23,522 करोड़ (23 प्रतिशत) की कमी और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन (एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य के राजस्व आधिक्य को कायम रखने की आवश्यकता के आलोक में देखा गया है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अंतर्गत बजट अनुमानों के विरुद्ध व्यय में कमी निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बजट अनुमान	40,678	49,934	60,959	73,258	91,765
वास्तविकी व्यय	38,216	46,500	54,466	62,477	72,570
अन्तर	2,462	3,434	6,493	10,781	19,196
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	6	7	11	15	21


3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2014-15)

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशतता
क. राजकोषीय सेवायें	699	1
(i) संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	511	1
(ii) वस्तुओं तथा सेवायों पर करों का संग्रहण	185	-
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	3	-
ख. राज्य के अंग	1,013	1
ग. ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	7,104	10
घ. प्रशासनिक सेवायें	6,248	8
ङ. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें	11,345	15
च. सामाजिक सेवायें	31,713	44
छ. आर्थिक सेवायें	14,445	20
ज. सहायता अनुदान तथा अंशदान	4	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	72,570	100

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2010-15)

(₹ करोड़ में)



3.3. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2014-15 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹ 18,519 करोड़ हुआ जो सं०रा०घ०उ० का 5 प्रतिशत था। यह बजट अनुमान से ₹ 3,039 करोड़ कम था (आयोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 2,888 करोड़ तथा आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत ₹ 151 करोड़ के कम खर्च होने के कारण)।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 974 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹ 742 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 51 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 181 करोड़), बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर ₹ 450 करोड़ और ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹ 4,175 करोड़ व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹ 4,202 करोड़ निवेश किया गया।

(₹ करोड़ में)


क्रम सं०	क्षेत्र	राशि	प्रतिशतता
1.	सामान्य सेवायें-पुलिस, भू-राजस्व आदि।	1,749	9
2.	सामाजिक सेवायें-शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि	1,673	9
3.	आर्थिक सेवायें - कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि।	14,728	80
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	369	2
कुल -		18,519	100

* सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष-2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष-2049 (ब्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष-3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुद्देशन) को सम्मिलित करता है।

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण


(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	सामान्य सेवायें	396	608	717	1,332	1,749
2.	सामाजिक सेवायें	1,072	807	1,331	1,858	1,673
3.	आर्थिक सेवायें	7,728	7,437	7,537	10,811	14,728
4.	ऋण तथा अग्रिम	1,102	1,906	2,086	807	369
	कुल-	10,298	10,759	11,671	14,808	18,519




आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

4.1. व्यय का संवितरण (2014-15)



4.2. आयोजना व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजना व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹ 43,939 करोड़ हुआ जो कुल व्यय ₹ 91,089 करोड़ का 48 प्रतिशत था। इसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 43,596 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ₹ 7 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 336 करोड़ सम्मिलित हैं।




4.2.1. पूँजीगत लेखे के अंतर्गत आयोजना व्यय

(₹ करोड़ में)


	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल पूँजीगत व्यय	10,298	10,759	11,671	14,808	18,519
पूँजीगत व्यय (आयोजना)	10,010	10,521	11,489	14,602	18,428
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	97	98	98	99	99

4.3. आयोजना भिन्न व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजना भिन्न व्यय ₹ 47,150 करोड़ (राजस्व के अंतर्गत ₹ 47,059 करोड़ तथा पूँजी के अंतर्गत ₹ 91 करोड़) हुआ, जो कुल व्यय का 52 प्रतिशत था ।



4.4. वचनबद्ध व्यय



(₹ करोड़ में)

घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वचनबद्ध व्यय	21,013	24,306	26,350	28,978	32,081
राजस्व व्यय	38,216	46,500	54,466	62,477	72,570
राजस्व प्राप्तियाँ	44,532	51,320	59,567	68,919	78,417
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	47	47	44	42	41
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	55	52	48	46	46

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है ।

विनियोग लेखे

5.1. वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय(+)
1	राजस्व दत्तमत प्रभारित	84,992	11,399	18,156	96,391	65,985	(-) 30,406
		7,180	987	511	8,167	7,219	(-) 948
2	पूँजीगत दत्तमत प्रभारित	21,105	8,368	7,940	29,473	18,915	(-) 10,558
	
3	लोक ऋण प्रभारित	3,563	43	0	3,606	3,609	(+) 3
4	ऋण तथा अग्रिम दत्तमत	406	1,980	366	2,386	369	(-) 2,017
	कुल -	1,17,246	22,777	26,973	1,40,023	96,097	(-) 43,926

5.2. विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2010-11	(-) 9,584	4,703	(-) 88	(-) 99	(-) 14,474
2011-12	(-) 10,835	(-) 3,834	(-) 5	(-) 922	(-) 15,596
2012-13	(-) 13,315	(-) 6,511	(-) 13	(-) 3,306	(-) 23,145
2013-14	(-) 20,781	(-) 8,223	(-) 135	(-) 2,341	(-) 31,480
2014-15	(-) 31,354	(-) 10,558	(+) 3	(-) 2,017	(-) 43,926

5.3. विशिष्ट बचत

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत हैं :-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

अनुदान	नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
12	वित्त विभाग	77%	69%	83%	84%	92%
45	चीनी उद्योग विभाग	46%	43%	35%	18%	80%
41	पथ निर्माण विभाग	7%	4%	24%	34%	62%
03	भवन निर्माण विभाग	34%	48%	59%	42%	56%
50	लघु जल संसाधन विभाग	31%	48%	34%	59%	55%
42	ग्रामीण विकास विभाग	11%	7%	23%	13%	54%
16	पंचायती राज विभाग	38%	33%	27%	26%	51%

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल ₹ 22,777 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 24 प्रतिशत) प्राप्त किया गया जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरुद्ध ही विशिष्ट बचतें हुईं तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
3	भवन निर्माण	राजस्व	474.00	12.00	394.00
		पूँजी	2,146.00	650.00	1,123.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा	राजस्व	94.00	6.00	65.00
16	पंचायती राज	राजस्व	4,225.00	484.00	2,375.00
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	797.00	353.00	647.00
20	स्वास्थ्य	राजस्व	4,101.00	132.00	3,318.00
		पूँजी	705.00	359.00	324.00
21	शिक्षा	राजस्व	23,704.00	1,166.00	16,335.00
		पूँजी	1,012.00	52.00	241.00
22	गृह	राजस्व	5,821.00	378.00	5,196.00
		पूँजी	541.00	94.00	491.00
35	योजना एवं विकास	राजस्व	1,130.00	27.00	616.00
		पूँजी	1,656.00	900.00	1,203.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	राजस्व	418.00	3.00	320.00
		पूँजी	1,377.00	110.00	885.00
37	ग्रामीण कार्य	पूँजी	4,171.00	434.00	4,002.00
39	आपदा प्रबंधन	राजस्व	911.00	205.00	454.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार	राजस्व	702.00	5.00	482.00
		पूँजी	31.00	1.00	17.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	राजस्व	1,159.00	11.00	942.00
45	गन्ना उद्योग	राजस्व	118.00	137.00	85.00
		पूँजी	1.00	167.00	1.00
48	नगर विकास एवं आवास	राजस्व	2,420.00	881.00	1,778.00
49	जल संसाधन	राजस्व	826.00	129.00	765.00
		पूँजी	1,679.00	833.00	1,249.00

अध्याय-VI

परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

6.1. परिसम्पत्तियाँ

लेखे का वर्तमान स्वरूप सरकार की परिसम्पत्तियों, जैसे-भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में सहजता से प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं ।

2014-15 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 7,069 करोड़ रहा । जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान निवेश पर ₹ 2.58 करोड़ (अर्थात 0.04 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ । वर्ष 2014-15 के दौरान निवेश में ₹ 4,202 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹ 0.05 करोड़ की वृद्धि हुई । 31 मार्च 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹ 4,269 करोड़ था तथा जो मार्च 2015 के अंत में घटकर ₹ 829 करोड़ हो गया ।

6.2. ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)


वर्ष	लोक ऋण	संरा०घ०उ० का प्रतिशतता	लोक लेखे (*)	संरा०घ०उ० का प्रतिशतता	कुल देयताएँ	संरा०घ०उ० का प्रतिशतता
2010-11	47,285	24	15,573	8	62,858	32
2011-12	50,990	21	16,822	7	67,812	28
2012-13	57,474	20	19,029	6	76,503	26
2013-14	64,262	20	22,677	6	86,939	26
2014-15	74,571	19	24,485	6	99,056	25

(*) उच्चत तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है ।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं ।

वर्ष 2013-14 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹ 12,117 करोड़ (14 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है ।

सरकार की देयताओं का रूझान



(*) बिना ब्याज वाली दायित्वों जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उद्दिष्ट निधियाँ इत्यादि ।

6.3. गारंटियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2010-11	1,549	588	44
2011-12	2,049	1,092	103
2012-13	2,046	1,089	112
2013-14	2,587	1,090	112
2014-15	5,315	1,961	148

अन्य विषय

7.1. आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2015 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 65,848 करोड़ शेष है।

7.2. राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा उधार

वर्ष 2014-15 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल कर्ज तथा उधार ₹ 21,748 करोड़ था। इसमें से ₹ 19,568 करोड़ सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्ज तथा उधार दिए गए। 31 मार्च 2015 के अंत तक मूलधन ₹ 4,902 करोड़ एवं ब्याज ₹ 4,379 करोड़ बकाए के रूप में वसूली योग्य थे। वर्ष 2014-15 के दौरान मात्र ₹ 1,493 करोड़ कर्ज तथा उधार के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹ 15 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाए कर्ज की वसूली के लिए प्रभावी कदम से सरकार की राजकोषीय स्थिति को मदद करेगी।

7.3. स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदान वर्ष 2010-11 में ₹ 8,424 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 22,359 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 14 प्रतिशत (₹ 3,085 करोड़) जिला परिषदों, नगरपालिकाओं/नगर निगमों/परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायक अनुदान का विवरण निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका /परिषद्	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य	कुल
2010-11	231	150	1,284	6,759	8,424
2011-12	677	557	1,858	11,352*	14,444
2012-13	441	540	2,154	14,319*	17,454
2013-14	905	540	2,602	14,888	18,935
2014-15	1,173	659	1,253	19,274	22,359

* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

7.4. रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2014 को	1 अप्रैल 2015 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	230	(-)89	(-)319
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार विपत्र)	4,039	3,529	(-)510
अन्य रोकड़ शेष			
(क) विभागीय शेष	178	211	(-) 33
(ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	341	344	3
उद्दिष्ट निधियों से निवेश			
(क) निपेक्ष निधि	1,368	2,343	975
(ख) गारंटी उनमोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियाँ	--	--	--
* प्राप्त ब्याज	233	312	79

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है ।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2014-15 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष ऋणात्मक था । इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

7.5. लेखे का मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा ससमय विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। यह कार्य विभागों के संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है । वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय ₹ 90,720 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 35,943 करोड़ यानि कुल व्यय के 40 प्रतिशत तथा कुल प्राप्तियाँ ₹ 78,417 करोड़ के विरुद्ध ₹ 58,379 करोड़ यानि कुल प्राप्ति के 74 प्रतिशत का ही मिलान किया गया ।

कुछ मुख्य विभागों की सूची निम्नवत है जिनके द्वारा प्राप्तियाँ तथा व्यय दोनों का पूर्णतया मिलान नहीं किया गया अथवा बहुत ही न्यून राशियों का मिलान किया गया :-

क्र० सं०	प्राप्ति शीर्ष	व्यय शीर्ष	विभाग
1.	0029	2029	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
2.	0039	2039	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
3.	0055	2055	गृह विभाग
4.	0071	2071	वित्त विभाग
5.	0202	2202	शिक्षा विभाग
6.	0210	2210	स्वास्थ्य विभाग
7.	0235	2235	समाज कल्याण विभाग
8.	0406	2406	पर्यावरण एवं वन विभाग
9.	0408	2408	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
10.	0425	2425	सहकारिता विभाग
11.	0506	2506	ग्रामीण विकास विभाग
12.	0515	2515	पंचायती राज विभाग
13.	1054	3054	पथ निर्माण विभाग
14.	1055	3055	परिवहन विभाग

7.6. कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार के लेखे जिन्हें महालेखाकार के कार्यालय में संकलित किया जाता है, मुख्यतः कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों द्वारा समर्पित आरंभिक लेखे पर आधारित होता है। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि कोषागारों के लिए आगामी माह के 5^{वीं} तारीख तथा लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों के लिए 10^{वीं} तारीख है। कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों तथा वन प्रमण्डलों द्वारा मासिक लेखे के प्रेषण में क्रमशः 06 दिनों, 10 दिनों एवं 24 दिनों का औसत विलम्ब किया गया है। ससमय लेखे के प्रस्तुत नहीं होने के कारण राज्य सरकार को भेजे गए मासिक लेखे में उस कोषागार को शामिल नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, लेखे के आँकड़ें माह के वास्तविक व्यय अथवा प्राप्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिससे निर्णय गलत हो सकता है, यदि निर्णय अपूर्ण लेखे के आधार पर लिया गया हो।

7.7. असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अदृष्टिगत व्यय को पूरा करने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से सेवा मुख्य शीर्षों के नामे करते हुए (अंतिम व्यय हेतु दर्ज) राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत होते हैं। इसके सापेक्ष उन्हें अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों सहित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्रों को, आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के अंदर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुत करने में विलम्ब अथवा लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाना, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के अधीन हुए व्यय के अपारदर्शिता को प्रस्तुत करता है। दिनांक 31 मार्च 2015 को लंबित आकस्मिक विपत्रों की विवरणी नीचे दी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए०सी० विपत्र		समायोजित ए०सी० विपत्र		लंबित ए०सी० विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2012-13 तक	94,017	31,946.11	77,325	29,292.92	16,692	2,653.19
2013-14	1,294	728.61	155	33.96	1,139	694.65
2014-15	2,097	2,040.06	40	6.48	2,057	2,033.58
कुल	97,408	34,714.78	77,520	29,333.36	19,888	5,381.42

* 2,097 आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 1,845.65 करोड़ की राशि का 959 आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2015 के बाद देय होंगे।

केवल मार्च 2015 में ₹ 726.65 करोड़ (2014-15 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से आहरित कुल राशि का 35.62 प्रतिशत) की राशि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से आहरित किये गये थे। मार्च माह में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यतः बजट प्रावधानों को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

7.8. व्यय का आधिक्य

वित्तीय नियम निर्दिष्ट करता है कि व्यय का अत्यधिक प्रवाह, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा एवं इससे बचना चाहिए। फिर भी यह देखा गया कि छः मामलों में मार्च 2015 में किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय के 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा के बीच था, जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधान प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	कुल योग	मार्च के दौरान व्यय	वर्ष 2014-15 के कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2015 का प्रतिशतता
2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.0015	0.0015	0.0015	100.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.49	3.05	3.54	2.62	74.01
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	2.82	69.80
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	5.99	8.94	8.16	36.28	59.37	30.52	51.41
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.99	3.28	13.46	17.73	9.07	51.16
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1,287.99	602.68	2,262.33	4,153.00	2,119.26	51.03

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
2015
www.cag.gov.in

ag.bih.nic.in